

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण भोपाल

क्रमांक 2437 / सम्पदा / भोविप्रा / 2025

भोपाल दिनांक 24/12/2025

रेसा पंजीयन क्र0-P-BPL-17-837

नवीबाग ,अफोर्डेबल आवासीय योजना में आधिपत्य हेतु तैयार प्रकोष्ठ नियत दर पर उपलब्ध।

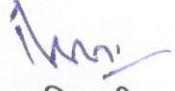
प्राधिकरण की नवीबाग, अफोर्डेबल आवासीय योजना में स्थित 2बी0एच0के प्रकोष्ठों का विक्रय निम्न तालिकाओं में वर्णित होकर ऑन लाईन <https://vikaspradhikaran.mponline.gov.in> के माध्यम से नियत दर पर दिनांक 01-01-26 से दिनांक 31-12-26 तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित अवधि में प्राप्त ऑफर/आवेदन पत्र दिनांक 22-12-26 को खोले जायेंगे। निम्न सम्पत्तियों का विस्तृत विज्ञापन प्राधिकरण की वेबसाईट www.bda.org.in पर देखा जा सकता है।

संख्या क्र0	प्रकोष्ठ/ ईकाईयों का विवरण	प्रकोष्ठ ईकाईयों का उपयोग	प्रति प्रकोष्ठ का अनुमानित सुपर विल्टप क्षेत्रफल	आरक्षण की श्रेणी यदि आरक्षित हो	वर्तमान कलेक्टर गाईडलाईन दर 2024-25 प्रतिवर्ग मीटर से	प्रकोष्ठ/ ईकाईयों का अरक्षित मूल्य	पट्टे (लीज) पर या भूमि स्वामी अधिका रो पर व्ययन	पट्टे (लीज) के प्रकरण में वार्षिक पट्टा भाडा	अमानत की राशि
01	L2/505	आवासीय	41.1 वर्ग मीटर	अनारक्षित	शासन द्वारा निर्धारित दर पर	13,00,000/-	लीज पर	30 /-	1,30,000/-
02	L2/207	आवासीय	41.1 वर्ग मीटर	अनारक्षित	शासन द्वारा निर्धारित दर पर	13,00,000/-	लीज पर	30 /-	1,30,000/-
03	L1/410	आवासीय	41.1 वर्ग मीटर	अनारक्षित	शासन द्वारा निर्धारित दर पर	13,00,000/-	लीज पर	30 /-	1,30,000/-
04	L1/204	आवासीय	41.1 वर्ग मीटर	अनारक्षित	शासन द्वारा निर्धारित दर पर	13,00,000/-	लीज पर	30 /-	1,30,000/-
05	L1/605	आवासीय	41.1 वर्ग मीटर	अनारक्षित	शासन द्वारा निर्धारित दर पर	13,00,000/-	लीज पर	30 /-	1,30,000/-
06	L2/606	आवासीय	41.1 वर्ग मीटर	अनारक्षित	शासन द्वारा निर्धारित दर पर	13,00,000/-	लीज पर	30 /-	1,30,000/-
07	L2/507	आवासीय	41.1 वर्ग मीटर	अनारक्षित	शासन द्वारा निर्धारित दर पर	13,00,000/-	लीज पर	30 /-	1,30,000/-
08	L2/409	आवासीय	41.1 वर्ग मीटर	अनारक्षित	शासन द्वारा निर्धारित दर पर	13,00,000/-	लीज पर	30 /-	1,30,000/-
09	L2/405	आवासीय	41.1 वर्ग मीटर	अनारक्षित	शासन द्वारा निर्धारित दर पर	13,00,000/-	लीज पर	30 /-	1,30,000/-
10	L2/602	आवासीय	41.1 वर्ग मीटर	अनारक्षित	शासन द्वारा निर्धारित दर पर	13,00,000/-	लीज पर	30 /-	1,30,000/-
11	L2/601	आवासीय	41.1 वर्ग मीटर	अनारक्षित	शासन द्वारा निर्धारित दर पर	13,00,000/-	लीज पर	30 /-	1,30,000/-
12	L2/302	आवासीय	41.1 वर्ग मीटर	अनारक्षित	शासन द्वारा निर्धारित दर पर	13,00,000/-	लीज पर	30 /-	1,30,000/-
13	L2/205	आवासीय	41.1 वर्ग मीटर	अनारक्षित	शासन द्वारा निर्धारित दर पर	13,00,000/-	लीज पर	30 /-	1,30,000/-

14	L1/603	आवासीय	41.1 वर्ग मीटर	अनारक्षित	शासन द्वारा निर्धारित दर पर	13,00,000 / -	लीज पर	30 / -	1,30,000 / -
15	L1/601	आवासीय	41.1 वर्ग मीटर	अनारक्षित	शासन द्वारा निर्धारित दर पर	13,00,000 / -	लीज पर	30 / -	1,30,000 / -
16	L1/509	आवासीय	41.1 वर्ग मीटर	अनारक्षित	शासन द्वारा निर्धारित दर पर	13,00,000 / -	लीज पर	30 / -	1,30,000 / -
17	L1/405	आवासीय	41.1 वर्ग मीटर	अनारक्षित	शासन द्वारा निर्धारित दर पर	13,00,000 / -	लीज पर	30 / -	1,30,000 / -
18	L1/401	आवासीय	41.1 वर्ग मीटर	अनारक्षित	शासन द्वारा निर्धारित दर पर	13,00,000 / -	लीज पर	30 / -	1,30,000 / -
19	L1/306	आवासीय	41.1 वर्ग मीटर	अनारक्षित	शासन द्वारा निर्धारित दर पर	13,00,000 / -	लीज पर	30 / -	1,30,000 / -
20	L1/305	आवासीय	41.1 वर्ग मीटर	अनारक्षित	शासन द्वारा निर्धारित दर पर	13,00,000 / -	लीज पर	30 / -	1,30,000 / -
21	L1/302	आवासीय	41.1 वर्ग मीटर	अनारक्षित	शासन द्वारा निर्धारित दर पर	13,00,000 / -	लीज पर	30 / -	1,30,000 / -
22	L2/401	आवासीय	41.1 वर्ग मीटर	अनारक्षित	शासन द्वारा निर्धारित दर पर	13,00,000 / -	लीज पर	30 / -	1,30,000 / -

प्रकोष्ठों के आवेदन पत्र के साथ नियम शर्तें संलग्न रहेगी:-

1. 2बीएचके हेतु 3 से 6 लाख तक वार्षिक आय का निर्धारित प्रारूप में स्वयं का घोषण पत्र, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
2. उपरोक्त प्रकोष्ठ की शेष राशि जमा करने की समयावधि एवं नियम शर्तें आवंटन आदेश में वर्णित अनुसार देय/मान्य होगी।
3. निर्धारित प्रकोष्ठों की संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लॉटरी पद्धति से आवंटन किया जावेगा। जिसकी सूचना पंजीयनकर्ताओं को मोबाईल, एसएमएस या अन्य द्वारा दी जावेगी।
4. शासन तथा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियम एवं शर्तें पंजीयनकर्ताओं आवंटियों को मान्य करना अनिवार्य होगा। जिसकी सूचना आवंटियों को पृथक से नहीं दी जावेगी।
5. जी0एस0टी0 की राशि नियमानुसार पृथक से देय होगी।
6. आवंटन सुनिश्चित होने के पश्चात आवंटन निरस्त कराने पर पंजीयन वापसी संबंधी कार्यवाही व्ययन नियम अनुसार की जावेगी।
7. आवंटियों का आवंटित प्रकोष्ठ की लीजडीड प्राधिकरण द्वारा तभी निष्पादित कराई जावेगी जबकी कलेक्टर कार्यालय से पंजीयन शुल्क में छूट का प्रमाण पत्र प्राधिकरण को प्राप्त होगा। छूट प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने पर आवंटी चाहे तो प्राधिकरण में इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर की वह बिना छूट प्राप्त किये लीजडीड निष्पादित कराने को तैयार है प्राधिकरण द्वारा इस पर विचार किया जाकर बिना छूट प्रमाण पत्र की लीजडीड निष्पादन की कार्यवाही कर सकता है।
8. प्राधिकरण द्वारा मूलभूत सुविधा दी जावेगी। इस संबंध में बाद में कोई भी दावा आपत्ति मान्य नहीं होगा। अतः स्थल पर निरीक्षण कर ही आवेदन प्रस्तुत करें।
9. नियमानुसार समिति शुल्क, सेवा शुल्क एवं अन्य प्रभार देय होंगे।
10. किसी भी प्रकार के वाद/विवाद की स्थिति में माननीय अध्यक्ष महोदय भोविप्रा का निर्णय मान्य होगा।


 सम्पदा अधिकारी,
 भोपाल विकास प्राधिकरण
 भोपाल